



2026:AHC: 20531

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट बी संख्या- 337/2026

राधेश्याम सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 11 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : क्षमा सिंह, यशवंत सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रत्यर्थियों का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2- यह रिट याचिका मुख्य रूप से निम्नलिखित अनुतोष के लिए दायर किया गया है: "

(i) चकबंदी अधिकारी, फूलपुर, आजमगढ़ को निर्देशित और समादेशित करने हेतु परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए कि वे ग्राम और पोस्ट-गहाजी, परगना-कौड़िया, तहसील-बुढ़नपुर, जिला-आजमगढ़ के संबंध में वाद संख्या/पुनर्स्थापन प्रार्थना-पत्र संख्या 303 (अमित कुमार बनाम अरविंद) दिनांक 03.09.2025 का एक निश्चित समय सीमा के भीतर निस्तारण करें।"

3- यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त मामला काफी लंबे समय से विचाराधीन है; हालांकि, इसे शीघ्रता से निर्णीत करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं।

4- विद्वान स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है, यदि उपरोक्त मामले के शीघ्र निस्तारण के लिए निर्देश जारी किया जाता है।

5- इस परिप्रेक्ष्य में, इस मामले को लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा, इसलिए यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका में वर्णित वाद के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करना उचित समझता है। चकबंदी अधिकारी (प्रत्यर्थी संख्या 2), जिनके समक्ष उपरोक्त मामला निस्तारण हेतु लंबित है, को निर्देशित किया जाता है

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कि यदि कोई अन्य विधिक बाधा न हो, तो वे इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से अधिमानतः छह माह की अवधि के भीतर विधि के अनुसार शीघ्रता से इसका निस्तारण करें।

6- उपरोक्त निर्देश के साथ, वर्तमान आवेदन **निस्तारित** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

29 जनवरी, 2026

विनय

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।